2005:छ.ग.उ.न्या.:43

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
द्वितीय अपील संख्याः - 251/2005

अपीलकर्ता
वादी

अमर नाथ सिंह पुत्र बोधम सिंह,
उम्र लगभग 50 वर्ष, जाति कँवर,
निवासी ग्राम-टुर्ना, पुलिस थाना एवं
तहसील अंबिकापुर, जिला.सरगुजा,
(छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण
बचाव पक्ष

1. रामसुंदर पुत्र स्व. कल्याण सिंह,
उम्र लगभग 22 वर्ष, जाति–गोंड
2. श्यामबर सिंह पुत्र स्व. कल्याण सिंह,
उम्र लगभग 18 वर्ष
3. पठानो बाई पत्नी स्वर्गीय कल्याण सिंह,
उम्र लगभग 56 वर्ष, जाति– गोंड
4. राजनंदन सिंह पुत्र स्व. जयलाल सिंह,
उम्र लगभग 45 वर्ष

सभी ग्राम अमली भट्टी, पुलिस थाना एवं तहसील अंबिकापुर जिला–सरगुजा छ.ग. के निवासी हैं।

5. श्री डी. आर. मंडावी, उप–कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी अंबिकापुर
6. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर सरगुजा छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील का ज्ञापन।

2005:छ.ग.उ.न्या.:43

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
द्वितीय अपील संख्याः - 251/2005

अमर नाथ सिंह

बनाम

रामसुंदर और अन्य

मौखिक आदेश

31.8.2005

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री राकेश पांडे को ग्राहयता पर सुना गया।

(2) वादी, जो दोनों न्यायालयों में हार चुका है, ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत यह द्वितीय अपील दायर की है, जिसमें प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 16–ए/2004 में दिनांक 14.2.2005 को पारित निर्णय और आज्ञप्ति की वैधता और विधिमान्यता को चुनौती दी गई है, जो कि अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–I, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 161–ए/1998 में पारित दिनांक 19.7.2001 को पारित निर्णय और आज्ञप्ति से उत्पन्न हुई है।

(3) वादी का मामला यह है कि वह वादग्रस्त भूमि का वास्तविक क्रेता है। वह कंवर जाति का है, यह भूमि उसने गोंड जाति के व्यक्ति से खरीदी है, इसलिए म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में संहिता) की धारा 165 (6) के प्रावधान उसके मामले में लागू नहीं होते। इसके बाद भी अनुविभागीय अधिकारी, उत्तरवादी क्रमांक 5 ने मामले में संज्ञान लेते हुए संहिता की धारा 170–'ख' के तहत जांच शुरू की और अंततः भूमि को विक्रेता–आदवासी के कब्जे में वापस करने का निर्देश दिया, यह मानते हुए कि क्रेता केवल एक दिखावटी क्रेता था और भूमि का वास्तविक क्रेता प्रतिवादी क्रमांक 4 था और इस तरह अपीलकर्ता/वादी जिसे भूमि का वास्तविक क्रेता दर्शाया गया है, वह बेनामीदार था।

(4) अन्य विवाद्यकों के साथ–साथ विद्वान विचारण न्यायालय ने भू–राजस्व संहिता की धारा 170–'ख' के प्रावधानों के अनुप्रयोग के संबंध में तथा उक्त संहिता की धारा 257 के आवश्यक निहितार्थों के आधार पर क्षेत्राधिकार के वर्जन के संबंध में भी मुद्दे संख्या 5 और 6 विरचित किए। इन दोनों मुद्दों पर वादी के विरुद्ध निर्णित

किया गया तथा यह निष्कर्ष दिया गया कि इस मामले में संहिता की धारा 170–'ख' के प्रावधानों को सही ढंग से लागू किए गए थे और उक्त संहिता की धारा 257 के प्रावधान भी लागू होंगे और व्यवहार न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित है। वाद को निरस्त किया गया था।

(5) विचारण न्यायालय द्वारा उक्त निरस्त के विरुद्ध वादी ने अधीनस्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और अधीनस्त अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति की पुष्टि करते हुए वादी की अपील को निरस्त कर दिया।

(6) मैंने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।

(7) इसमें कोई संदेह नहीं है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 257 (1) एवं (I-1) के अंतर्गत धारा 170 की उपधारा (1) तथा धारा 170-अ की उपधारा (2) के खण्ड (अ) एवं (ब) के अन्तर्गत भूमिस्वामी द्वारा किये गये अन्तरण को अपास्त करने के किसी भी दावे के साथ-साथ उक्त संहिता की धारा 170-'ख' के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिए दीवानी क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाती है।

(8) हालांकि, यदि किसी विशेष क़ानून द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया जाता है, तो भी व्यवहार न्यायालय विशिष्ट परिस्थितियों में सिविल वाद पर विचार कर सकते हैं। इस अपवाद को प्रिवी काउंसिल के पुराने निर्णय द्वारा समाप्त कर दिया गया है जो **सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम मास्क एंड कंपनी ए.आई.आर. 1940 प्रिवी काउंसिल 105** के मामले में प्रकाशित किया गया है। इसमें अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल क्षेत्राधिकार का अपवर्जन स्पष्ट रूप से व्यक्त या स्पष्ट रूप से निहित होना चाहिए। यहां तक कि जहां ऐसा नहीं किया गया है/जहां इसे अपवर्जित किया गया है, वहां भी व्यवहार न्यायालयों को उन मामलों की जांच करने का क्षेत्राधिकार है जहां अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है या संविधिक न्यायाधिकरण न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मध्य भारत जागीर उन्मूलन अधिनियम के तहत एक मामले पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि, जहां सिविल क्षेत्राधिकार वर्जित था, तहसीलदार के आदेश को व्यवहार न्यायालयों में इस आधार के सिवाय किसी अन्य आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह "अमान्य" है। **(कृपया देखें 1936 रघुनाथ (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम – कन्हैया (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि ए.आई.आर. 1979 एस.सी.).**

(9) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मैं पाता हूं कि वादी व्यवहार न्यायालय के समक्ष यह स्थापित नहीं कर सका कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश या तो क्षेत्राधिकार से विहित था या विधि की दृष्टि में अमान्य था या अनुविभागीय अधिकारी ने न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के प्रावधानों का पालन किए बिना संहिता की धारा 170-'ख' के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(10) धारा 100 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता का विस्तार और प्रयोग अपील की ग्राह्यता के समय विरचित किए गए विधि के सारवान प्रश्नों अथवा कारण अभिलिखित किये जाने के पश्चात बाद में विरचित किए गए विधि के अतिरिक्त सारवान प्रश्नों तक सीमित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धारा 100 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के संशोधित प्रावधानों के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए विधि के सारवान प्रश्नों का अस्तित्व अनिवार्य है। **(कृपया देखें त्यागराजन और अन्य – बनाम – श्री वेणुगोपाल स्वामी बी. कोइल और अन्य ए.आई.आर. (2004) एस.सी.सी. 762 खंड v).**

(11) इस बारे में कि कौन सा प्रश्न विधि के सारवान प्रश्न का गठन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय ने **संतोष हजारी बनाम पुरूषोत्तम तिवारी (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि ए.आई.आर. (2001) 3 एस.सी.सी. 179** के मामले में यह अवधारित किया कि:

> " विधि का कोई ऐसा मुद्दा जो किसी दो राय को स्वीकार नहीं करता, वह विधि का सिद्धांत तो हो सकता है, लेकिन विधि का कोई सारवान प्रश्न नहीं हो सकता। "सारवान" होने के लिए विधि का कोई प्रश्न बहस योग्य होना चाहिए। देश के विधि या बाध्यकारी दृष्टांत द्वारा पहले से निराकृत किया हुआ नहीं होना चाहिए और मामले के निर्णय पर इसका भौतिक/महत्वपूर्ण प्रभाव होना चाहिए, यदि इसका निर्णय किसी के पक्ष भी होता है, जहां तक यह उसके समक्ष के पक्षकारों से संबंधित है। मामले में विधि का प्रश्न शामिल होने के लिए सबसे पहले इसकी नींव रखी जानी जिसका आधार अभिवचन में होना चाहिये और यह प्रश्न न्यायालय के तथ्यों द्वारा प्राप्त किए गए स्थायी निष्कर्षों से उभरना चाहिए और मामले के न्यायोचित और उचित निर्णय के लिए विधि के उस प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक बिल्कुल नया प्रश्न इस मामले में तब तक शामिल नहीं है जब तक कि मामले की जड़ तक नहीं पहुंचा जाता। इसलिए यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि विधि का प्रश्न महत्वपूर्ण है या नहीं और मामले में शामिल है या नहीं। क्या सर्वोपरि समग्र विचार सभी चरणों में न्याय करने के अपरिहार्य दायित्व और किसी भी व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक विलंब से बचने की अनिवार्य आवश्यकता के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाने की आवश्यकता है।"
>
> **(जोर दिया गया)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) इस न्यायालय की राय में, अपील में विधि का कोई भी सारवान प्रश्न अंर्तवर्लित नहीं है।

(13) इस याचिका में कोई गुणवक्ता नहीं है। इसे निरस्त किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक
पुष्यमित्र मलतियार
Mobile-8920842316
अम्बिकापुर

Disclaimer: The translation of the judgment in Hindi language has been done for the limited use of the parties so that they can understand it in their own language and it will not be used for any other purpose. For all official and practical purposes, the English version of the judgment will be considered authentic and will be given preference for implementation and enforcement.

Translated By
Pushyamitra Maltiar
Mobile-8920842316
Ambikapur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur